न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-192/2012

1- मोहनलाल पुत्र नन्दलाल
2- धर्मेन्द्र पुत्र सोहनलाल
3- श्यामलाल पुत्र सोहनलाल
4- विनोदकुमार पुत्र सुगनचन्द

जाति धानका निवासी माकडी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।

---अपीलान्टस---

--बनाम--

1- राजस्थान राज्य जरिये कलेक्टर सीकर ।

2- भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 23-12-2011 द्वारा
उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री लक्ष्मणसिंह सूण्डा एडवोकेट- अपीलान्ट

निर्णय दिनांक- 16.5.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलान्टस ने अदालत मातहत में दावा बाबत इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नं0 994/1 रकबा 4 बीघा तन ग्राम माकडी तहसील नीमकाथाना का आवंटन एवं नियमन जगदीश प्रसाद पुत्र नन्दलाल जाति धानका के नाम दिनांक 18-10-75 को किया गया था । जगदीशप्रसाद का दिनांक 7-12-1975 को देहान्त हो गया । जिसके कोई औलाद नहीं थी ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

जगदीशप्रसाद के फौत होने पर इस आराजी को वादीगण की काश्त करते आ रहे है । स्व0 जगदीशप्रसाद के के पिता नन्दलाल के चार पुत्र हुये जिसमें जगदीशप्रसाद के अलावा सोहनलाल, मोहनलाल व सुगनचन्द हुये । सुगनचन्द व सोहनलाल का भी स्वर्गवास हो गया । जिनके वादीगण वारिस है । जगदीश प्रसाद परिवार में पढा लिखा था जिससे उसने इस आराजी को केवल अपने नाम से आंवटित करवाली जबकि इस आराजी पर शुरू से ही चारो भाईयों का कब्जा काश्त था और यह आराजी चारों भाईयों के नाम से ही आंवटित होनी चाहिये थी ।इस आराजी पर चारो भाईयो का संयुक्त परिवार होने से संयुक्त रूप से कब्जप रहा है जो आज भी है । किन्तु तहसीलदार ने उक्त भूमि को वादीगण के नाम दर्ज नहीं जिसके कारण यह दावा किया है । अतः दावा स्वीकार कर उक्त आराजी को वादीगण के नाम बतौर खातेदार दर्ज की जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी का दावा खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री विधि के विपरित है । जगदीशप्रसाद पुत्र नन्दलाल धानका निवासी मांकडी का देहान्त निःसन्तान हो गया । अपीलान्ट हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृत जगदीश प्रसाद के उत्तराधिकारी हैं तथा अपीलान्टस् ही विवादित आराजी पर काबिज है । नन्दलाल के चार पुत्र हुये जिसमें जगदीश प्रसाद नाऔलाद फौत हो गया। सोहनलाल, मोहनलाल व सुगनचन्द हुये । सोहनलाल व सुगनचन्द का देहान्त हो गया । जिसमें अपीलान्ट संख्या-। व 3 सोहन के वारिस है तथा सुगनचन्द का वारिस अपीलान्ट संख्या-4 है । इस प्रकार सजरा खानदान के अनुसार भी अपीलान्ट जगदीश प्रसाद के छ कानूनी उत्तराधिकारी है ।खसरा नं0-994/1 तन ग्राम मांकडी जगदीशप्रसाद को आँवटीत की गई थी ।जगदीश प्रसाद को आवंटन होने के बाद इस आराजी प जगदीशप्रसाद के साथ उसके अन्य तीनों भाई भी काबिज काश्तकार रहे जो आज भी काबिज है ।अपीलान्ट के

आराजी के खातेदारी अधिकार अपीलान्ट को प्राप्त हो चुके हैं । अपीलान्ट ने अपने दावे के समर्थन में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है । तनकी सं0-1 व 1/1 वादी/अपीलान्ट के जिम्मे थी जिसको अपीलान्टस् ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतया साबित किया । किन्तु अदालत मातहत ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का बिना अवलोकन किये ही इन तनकीयों को वादीगण के खिलाफ निर्णित करने में कानूनी भूल की है ।उक्त दावे का प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट सं0-1 ने कोई जबाब दावा पेश नहीं किया । रेस्पोडेन्ट संख्या-2 ने जबाब दावा पेश किया । इसके बाद अपीलान्ट ने दावे में मौखिक साक्ष्य में पडौसी खातेदारों के बयान भी करवाये है जिसमें विवादित आराजी पर कब्जा अपीलान्ट बताया है। जिसमें अपीलान्ट के पुखता मकान बने होना तथा जिनमें निवास करना बताया है । प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या-2 ने किसी भी गवाह से कोई जिरह नहीं की है । अपीलान्ट ने विवादित आराजी के चारों तरफ मिटटी की डोल बना रखी है जिसमें एक झोपडा बना रखा है । जिसमें हमारा कब्जा है जिसके मौके के फोटो भी पेश किये हैं ।इस आराजी पर आवंटन से पूर्व भी जगदीश के साथ जगदीश के अन्य तीनों भाईयों का कब्जा चला आ रहा था। जगदीशप्रसाद पढा लिखा था जिसने इस आराजी को केवल अकेले अपने नाम से आंवटित करवा ली किन्तु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार चारो भाईयों का कब्जा रहा तथा जगदीश के फौत होने पर इस आराजी पर तीनो भाईयों का कब्जा काश्त रहा तथा आज अपीलान्ट का कब्जा काश्त है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन न कर केवल कल्पनाओं के आधार पर निर्णय पारित किया है । रेस्पोडेन्ट संख्या-2 ने विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं होना मानकर जबाब दावा पेश किया जिसका अपीलान्ट ने कोई जबाबुलजबाब पेश नहीं किया । अदालत मातहत ने जबाब दावे में उठाई गई आपत्ति के आधार पर कब्जा नहीं मानकर आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का दावा डिक्री किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोंडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये अपील स्वीकार कर दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया । तथा विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में अदालत मातहत के निर्णय को उचित ठहराते हुये कथन किया है कि विवादित आराजी दिनांक 18-10-1975 को जगदीशप्रसाद को आवंटित की गई थी। आवंटन के बाद दिनांक 7-12-1975 को आंवटी जगदीशप्रसाद का देहान्त हो गया । विवादित आराजी का कब्जा जगदीश प्रसाद को मिला हो । इतना ही नहीं अपीलान्ट के भाई जगदीश प्रसाद ने अपने जीवनकाल में आंवटन नियमों की पालना भी नहीं कर पाये ।केवल कयासों के आधार पर अपीलान्ट को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता । अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित एवं विधिक पारित किया है ।अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई ।पत्रावली का अवलोकन किया गया । सजरा खानदान के अनुसार नन्दलाल के चार पुत्र जगदीशप्रसाद, सोहनलाल, मोहन लाल एवं सुगनचन्द हुये । प्रदर्श-5ए आवंटन आदेश में ख0नं0 994/1 रकबा 4 बीघा का आवंटन जगदीशप्रसाद को किया गया ।प्रदर्श-3ए आंवटन कमेटी का आदेश क्र0सं0 40/800 पर जगदीशप्रसाद पुत्र नन्दलाल का ख0नं0 994/1 में से 4 बीघा का आवंटन किया गया है जो मार्क"ए" से"बी" है । प्रदर्श-1ए मृत्यु प्रमाण पत्र जगदीश हरिजन पुत्र नन्दलाल हरिजन का देहान्त दिनांक 7-12-75 को हुआ है । प्रदर्श-2ए में जगदीशप्रसाद के वारिसानों उसके भाई सोहनलाल मोहनलाल, सुगनचन्द तथा सोहनलाल के देहान्त होने पर उसकी पत्नी कृष्णा, धर्मेन्द्र व श्यामलाल पुत्र तथा सुगनचन्द के देहान्त के बाद उसका पुत्र विनोदकुमार

का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं रहा तथा आंवटन के तीन वर्षों तक कब्जा काश्त नहीं रहा । इस कारण आंवटन नियमों की अवेहला हुई है ।जबाब दावा आने पर अदालत मातहत ने तनकीयों का निर्माण किया जिसमें तनकी संख्या-

1- आया आंवटी आंवटन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा के पात्र है । --जिम्मे वादी--

1/1- आया आंवटी ने अलाटमेन्ट के बाद कब्जा प्राप्त किया था । --जिम्मे वादी--

2- आया आंवटी ने आंवटन शर्तों की पालना नहीं की है।--प्रतिवादी--

3- आया आंवटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है--प्रतिवादी--

तनकी संख्या-1 में बहस पर मनन किया गया दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया । जगदीशप्रसाद हरिजन पुत्र नन्दलाल हरिजन को दिनांक 18-10-75 को ख0नं0 994/1 में से 4 बीघा भूमि का आंवटन किया गया है जो प्रदर्श-3ए पर क्र0सं0-40/800 पर"ए" से "बी" पर दर्ज है । आवंटन के बाद इस आराजी का कब्जा आंवटी को दिया गया हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलान्ट ने पेश नहीं किया । अपीलान्ट ने राजस्व रेकार्ड में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है । मौखिक साक्ष्य में बयानों में अपीलांट का कब्जा बताया है जो दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव मे मान्य नहीं है । विरोध में प्रतिवादी /रेस्पोडेन्ट संख्या-2 ने अपने लिखित जबाब में पेश किया है कि उक्त आराजी पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है । पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि आवंटी को कब्जा सम्भलाया गया हो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है और ना ही आंवटन के बाद राजस्व रेकार्ड में आंवटी का नाम दर्ज हुआ हो इस बाबत कोई नामान्तरकरण भी पेश नहीं किया है। सर्व प्रथम आंवटन के बाद आंवटी को गैरखातेदारी प्राप्त होने के बाद खातेदारी अधिकार प्राप्त होते किन्तु अपीलान्ट(आंवटी) को तो उक्त आराजी का कब्जा दिया जाना ही प्रमाणित नहीं है ।बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या-2 ने जबाब में स्पष्ट किया है कि आंवटी का कोई कब्जा नहीं और न ही आंवटी ने तीन वर्ष तक कोई काश्त की है ।इन सभी तथ्यों के परिपेक्ष्य में एवं राजस्व रेकार्ड के अभाव में यह तनकी

अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णित की है जो सही है । अदालत मातहत के इस तनकी के निर्णय को यथावत रखा जाता है ।

तनकी संख्या-1/1- आया आंवटी के अलाटमेन्ट के बाद कब्जा प्राप्त किया हो । इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर ही था ।उभयपक्षों की बहस पर मनन किया दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-3ए से जगदीशप्रसाद को आराजी का आंवटन किया गया है । आंवटन के बाद इस आराजी का कब्जा दिया जाना किसी भी दस्तावेज से प्रमाणित नहीं है । न ही कोई राजस्व रेकार्ड पेश किया है जिससे यह साबित होता हो कि इस भूमि का आंवटन होने के बाद कब्जा दिया गया हो न तो नामान्तरकरण पेश किया न ही कोई राजस्व रेकार्ड(जमाबन्दी) आदि पेश किया है ।रेस्पोडेन्ट संख्या-2 ने विवादित आराजी का कब्जा दिया जाना नहीं बताया है तथा आंवटन शर्तों के अनुसार तीन वर्ष तक काश्त भी नहीं की गई जबकि आंवटन शर्तों के अनुसार सर्व प्रथम आराजी का कब्जा लिया जाकर उक्त आराजी की गैर खातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज किया जाता तथा उसके बाद तीन वर्ष तक लगातार काश्त किये जाने पर इन शर्तों की पालना होने पर ही आंवटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होते किन्तु प्रकरण में न तो कब्जा लिया हो और न ही काश्त की हो साबित नहीं है केवल मौखिक साक्ष्य में अपीलान्ट का कब्जा बताया है जो दस्ता--वेजी साक्ष्य के अभाव में मानने योग्य नहीं है ।अपीलांट इस तनकी को साबित करने में असफल रहा है । अदालत मातहत ने इस तनकी का निर्णय अपीलान्ट के विरूद्ध किया है जो सही है उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हैं ।इस तनकी का निर्णय यथावत रखा जाता है ।

तनकी संख्या-2 आया आंवटी ने आंवटन शर्तों की पालना नहीं की इस तनकी को साबित करने का भार रेस्पोडेन्ट पर था । रेस्पोडेन्ट ने अपने जबाब दावा में स्पष्ट किया है कि उक्त आराजी पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है ।तथा अपीलान्ट ने भी ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे यह साबित होता हो कि आंवटन के बाद अपीलान्ट(ने कब्जा प्राप्त किया हो ।

कब्जा सौंपे जाने बाबत न तो पटवारी की रिपोर्ट है और न ही कब्जा प्राप्त करने के बाद आंवटी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज किया हो ऐसी कोई साक्ष्य है । केवल अपीलान्ट ने मौखिक साक्ष में अपना कब्जा होना बताया है जो दस्तावेजी साक्ष्यके अभाव में मानने योग्य नहीं है ।अदालत मातहत ने इस तनकी का निर्णय रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे किया जो कानून संगत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हैं ।इस तनकी के निर्णय को यथावत रखा जाता है ।

तनकी संख्या-3 आया आंवटी का मौके पर कब्जा कायम नहीं है। इस तनकी को साबित करने का भार भी प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट पर ही था। इसतनकी के बाबत तनकी संख्या-1/1 में विस्तृत विवेचन कर निर्णय किया जा चुका जिस पर अब अलग से निर्णय की कोई आवश्यकता नहीं है । अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कब्जा हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है अदालत मातहत ने इस तनकी को रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे निर्णित किया है जिसमें हम कोई हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।तनकी का निर्णय यथावत रखा जाता है ।

उपरोक्तानुसार तनकी संख्या-1 व 1/1 अपीलान्ट के खिलाफ एवं तनकी संख्या-2 व 3 रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निर्णित किये जाने पर अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने पर अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23-12-2011 यथावत रखा जाता है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 16.5.2018 को सुनाया गया ।

16/5/18

शंवरलाल मेहरड़ा
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर